

## सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता का आवेदन पत्र

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला सागर

विषय :- दीनदयाल अंत्योदय मिशन/आदिवासी सामूहिक विवाह योजनांतर्गत निराश्रित निधन परिवार की कन्या/विधवा/

परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता वाचत् ।

हम आश्रित कन्या का आपस में विवाह करने के लिये जिला समिति द्वारा नियत तिथि.....

को कन्या/

विधवा/परित्यक्ता को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह कराने के लिये सहमत है ।

फोटो वधू की

फोटो वर की

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| 1. कन्या/विधवा/परित्यक्ता का नाम   | ..... | ..... |
| 2. कन्या/विधवा/परित्यक्ता के माता एवं पिता का नाम तथा पूर्ण पता  | ..... | ..... |
| 3. आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता  | ..... | ..... |
| 4. कन्या/विधवा/परित्यक्ता से आवेदक का संबंध  | ..... | ..... |
| 5. कन्या/विधवा/परित्यक्ता का शिक्षा का स्तर  | ..... | ..... |
| 6. जन्म तिथि (अंकों में / शब्दों में) शिक्षित होने की दशा में स्कूल सर्टिफिकेट अशिक्षित होने की दशा में कोटवार-धाना प्रभारी/आगनवाडी/उपरजिस्ट्रार का जन्म प्रमाण पत्र चिकित्सक का आयु प्रमाण पत्र । | ..... | ..... |
| 7. जाति (प्रवर्ग) अ.जा./अ.ज.जा./पि./अन्य   | ..... | ..... |
| 8. कृषि भूमि/आय के अन्य साधन   | ..... | ..... |
| 9. वार्षिक आय  | ..... | ..... |
| 10. बी.पी.एल.क्रमांक (यदि हो तो)   | ..... | ..... |

आवेदक हस्ताक्षर.....

आवेदक हस्ताक्षर.....

एवं दिनांक.....

एवं दिनांक.....

### जांच प्रतिवेदन

आवेदक के आवेदन पर मेरे द्वारा परीक्षण पात्रता की शर्तों के आधार पर किया गया । परीक्षण में आवेदक को सामूहिक विवाह हेतु मैं आर्थिक सहायता की पात्रता की अनुशंसा करता हूँ ।

कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

मुख्य कार्यपालन अधिकारी